

फर्द अहकाम

आलत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम - गंगापुर सिटी

महमूद खां

बनाम आविद वगैरा

हुकदमा



इजराय

नं०

8

सन्

2015

| रीख क्रम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|----------|---|---|
| | <p>1-6-2015 डिक्रीदार महमूद खां पूरा समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदैईकलां की ओर से यह इजराय श्री रामदयाल त्रिवेदी भा. ने हमारे समक्ष पेश की। डिक्रीदार के वकील को सुना गया। तदसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी कर लिखा जावे कि किसी अन्य सक्षम न्यायालय से कोई स्थगनादेश नहीं हो तो इस न्यायालय की डिक्री दि० 14-3-2015 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट दि० 14-7-15 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली दि० 14-7-2015 को लोक अदालत कैम्प उदैईकलां पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p> <p>14-7-15 पत्रावली आज लोक अदालत उदैईकलां में पेश हुई। पटवारी हलका ने बताया है कि नामांसे 558 से पालना कर दी गई है।</p> <p>अब इस पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली पैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दारखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी </p> | <p>6023 27115</p> <p>558 से पालना कर दी गई है।</p> <p>14-7-</p> |

डिक्री व मुकदमा (ऑर्डर 20, कल 8-जब्त)

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Assam 1938)

अज अदालत
इजलास

उप जिला कलेक्टर
मुनिदेव यादव, आर०ए०ए०

उपजिला

महमूदखां पुत्र समीरखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी — वादी
बनान

1. आबिद पुत्र महमूदखां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

— प्रतिवादी नग

दावा घोषणां खातेदारी एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. - 22/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हनारे व हाजरी श्री समदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री सतीश चन्द शर्म, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व राजीनामे के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 2818 रकबा 2.16 हैक्टर, 2819 रकबा 1.34 हैक्टर, 2794 रकबा 41 एयर तथा 2795 रकबा 1.64 हैक्टर ग्राम उदेईकलां का वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादी आबिद पुत्र समीर खां जाति मुसलमान की खातेदारी से कन की जाकर वादी महमूदखां पुत्र समीरखां जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

आज दिनांक 14.03.2015 को डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जादावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनतानावकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | मीजान | | |
| मीजान | | | | | |

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)